आदेश की क्रम संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी ता0 सहित 3
28/04/12	अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल का न्यायालय। अतिक्रमण वाद सं0 03/10-11 आदेश यह अतिक्रमण वाद सं0 3/10-11 अंचल अधिकारी, बरहरवा के प्रतिवेदन पत्रांक 533/रा0, दिनांक 22.10.10 के आधार पर मौजा बेहबतपुर के जमाबंदी नं0 268 दागनं0 309 रकवा=03 बीघा 04 कट्ठा 03 धूर भूमि को घेर लेने तथा दागनं0 187 एवं 206 में ग्रामीणों द्वारा आने-जाने वाले एकमात्र कच्ची रास्ते कुल 13 फीट चौड़े रास्ते में से 10 फीट चौड़ी भूमि को ग्रामीणों द्वारा मना करने के बावजूद घेर कर रखने के विरूद्ध दि0 18.3.11 को प्रारंभ किया गया है। विधिवत् नोटिश तामिला के उपरांत विपक्ष ने उपस्थित होकर कारण-पृच्छा समर्पित किया है। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता ने जाँच प्रतिवेदन का हवाला देते हुए अतिक्रमित भूमि को विपक्षीगण से मुक्त कराने की प्रार्थना की है।	

28/04/12

Scanned with CamScanner

ला ....

स का प्रकार ....

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी ता
1	2	3
	= 2 = की है । विपक्ष के विद्व अधिवक्ता का तर्क है कि विपक्षी क्र0 01 ने निबंधित दस्तावेज सं0 0782, दि0 27.7.04 के जरिए उत्तम पाल नामक व्यक्ति से मौजा बेहबतपुर के जमाबंदीनं0 222 दागनं0 205 के 01 बीघा 01 कट्ठा 15 धूर में से 03 कट्ठा भूमि खरीदकर प्राप्त की और उसपर आवासीय मकान बनाकर सपरिवार निवास कर रहे हैं । उनका यह भी कहना है कि विपक्षी ने किसी भूमि का अतिक्रमण नहीं किया है । उन्होंने यह भी कहा कि आवेदकगण का आरोप बेबुनियाद है तथा प्रतिवेदन में यह भी स्पष्ट नहीं है कि विपक्ष ने कितनी भूमि का अतिक्रमण किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जांच प्रतिवेदन अपने आप में परिपूर्ण नहीं है जिस पर कि कार्यवाही प्रारंभ की गई है। विपक्ष की ओर से निबंधित	

28/4/1?

क्रम संख्या	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी ता0 सहित
	2	3

निबंधित डाक से सं0 9782, दि0 27.7.04 की छाया प्रति दी गई है।

अंचल अधिकारी के जांच प्रतिवेदन विपक्ष के कारण-पृच्छा एवं सूचीबद्ध कागजातों के अवलोकन करने तथा दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने से निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं :-

§1§ विपक्ष के विरुद्ध अतिक्रमण का आरोप दागनं0 309, 187 एवं 206 की भूमि से संबंधित है। दागनं0 309 की रकबा 3 बीघा 4 क0 03 धूर जमीन गोचर है तथा दागनं0 187 एवं 206 सरकारी पोखर एवं पटाल है।

§2§ विपक्ष का दावा दागनं0 205 की 3 कट्ठा भूमि पर है।

§3§ विपक्ष ने दागनं0 205 के 3 कट्ठा भूमि के अतिरिक्त किसी भूमि पर अपना अधिकार या दखल-कब्जा का दावा नहीं किया है।

उपरोक्त स्थिति में सम्यकरूपेण विचारोपरांत यह पाया जाता है कि दाग नं0 205 की 3 कट्ठा विपक्ष की भूमि को विधिवत् सीमांकित कर अलग करते हुए शेष गोचर एवं सरकारी अतिक्रमित भूमि से न्यायहित में विपक्ष का अतिक्रमण हटाना आवश्यक है।

अतएव दागनं0 205 की 3 कट्ठा

Scanned with CamScanner

भूमि को छोड़कर शेष ऽ अतिक्रमित भूमि से विपक्ष अपना अतिक्रमण एक सप्ताह के अंदर हटा लें ।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी बरहरवा को एक पक्ष के अन्दर अनुपालन कर अनुप प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु भेजें ।

लेखापित

28/5/12

अनु० पदा०
राजमहल।

28/5/12

अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल।

Scanned with CamScanner